



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092021-229859
CG-DL-E-22092021-229859

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3569]
No. 3569]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 2021/भाद्र 30, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2021/BHADRA 30, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2021

का.आ. 3893(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2607 (अ) तारीख 28. जून 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के रोहतास जिले में NH2 के कि.मी. 927.4 से कि.मी.933.48 (रोहतास) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "08. जुलाई 2021 " को "दैनिक जागरण" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के रोहतास जिले में NH2 के कि.मी. 927.4 से कि.मी.933.48 (रोहतास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: रोहतास			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: देहरी				
	गांव का नाम: सखरा				
1	130	सरकारी(परती)	परती	0.0121	आनावाद बिहार सरकार ()
2	138	निजी	आवासीय	0.00895	कुलदीप सिंह पिता स्व0 दर्शन सिंह ()
3	138	निजी	आवासीय	0.00895	अरविंद कौर पति स्व0 भूपेंद्र सिंह ()
4	138	निजी	आवासीय	0.0087	नागेंद्र सिंह पिता स्व0 रामवृक्ष सिंह ()
5	138	निजी	आवासीय	0.0087	कपिल देव सिंह पिता स्व0 रामवृक्ष सिंह ()
6	138	निजी	आवासीय	0.0087	कुंती कुंवर पति स्व0 धर्मदेव सिंह ()
			कुल	0.0561	

[फा. सं. 11012/Ph./NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2021

S.O. 3893(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 2607 dated 28th June 2021**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning/six- laning, etc.), maintenance, management and operation of NH2 on the stretch of land from Km 927.4 to Km 933.48 (Rohtas) in the district of ROHTAS in the state of BIHAR ;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Jagaran**” and “**Times of India**” both dated **08th July 2021**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH2 in the stretch of land from NH2 Km. 927.4 to Km. 933.48 (Rohtas) in the district of ROHTAS in the state of BIHAR

State: BIHAR		District: ROHTAS			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Dehri				
	Village: Sakhara				
1	130	Government(Parti)	Parti	0.0121	Anavad Bihar Sarkar
2	138	Private	Residential	0.00895	Kuldip Singh s/o Lt. Darshn Singh

3	138	Private	Residential	0.00895	Arvind Kaur w/o Bhupendra Singh
4	138	Private	Residential	0.0087	Nagendra Singh s/o Lt. Ram vrikash singh
5	138	Private	Residential	0.0087	Kapil Dev Singh s/o Lt. Ram vrikash Singh
6	138	Private	Residential	0.0087	Kunti kuwar w/o Lt. Dhramdev Singh
			TOTAL	0.0561	

[F. No. 11012/Ph.V/NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009/3D2]

RAJESH GUPTA, Director